1/49393/2023

कार्यालय
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून

पत्रांकः 1107 /अपील संख्या 38709/2023–24 दिनांकः 21 दिसम्बर, 2023

पंजीकृत डाक

सेवा में,

श्री नदीम उद्दीन
निवासी– कोहिनूर प्रेस बिल्डिंग
अल्ली खॉ, काशीपुर,
उधमसिंह नगर–244713

विषयः– अपील संख्या 38709 की सुनवाई में मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी/अनु सचिव,एवं अपर सचिव/विभागीय अपीलीय अधिकारी. उत्तराखण्ड शासन एवं लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित सहायक लेखाधिकारी, मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्रांक 9598 दिनांक 14.12.2023 जो कि इस कार्यालय को दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 को प्राप्त हुआ है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के माध्यम से मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा उक्त अपील की सुनवाई में दिनांक 05.12.2023 को पारित आदेश के द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 16.09.2022 के माध्यम से चाही गई सूचनाएं 04 बिन्दुओं की स्पष्ठ रूप में एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

मा0 आयोग के उक्त आदेश के अनुपालन में आपके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 16.09.2022 के द्वारा चाही गई 04 बिन्दुओं की सूचनाएं बिन्दुवारः निम्नवत प्रेषित की जा रही हैः–

बिन्दु संख्या	चाही गई सूचना	प्रतिउत्तर
4.1	उत्तराखण्ड गठन से सूचना उपलब्ध कराने की तिथि तक वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 98 के अर्न्तगत प्रदेश के वक्फ बोर्ड व वक्फ सम्पत्तियों के प्रशासन के सम्बन्ध वार्षिक रिर्पाट बनाने का वर्षवार का पूर्ण विवरण, वर्षवार रिपोर्ट बनाकर पूर्ण करने की तिथियों सहित।	कार्यालय अभिलेखानुसार उत्तराखण्ड गठन से सूचना उपलब्ध कराने की तिथि तक वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 98 के अर्न्तगत प्रदेश के वक्फ बोर्ड व वक्फ सम्पत्तियों के प्रशासन के सम्बन्ध में वार्षिक रिर्पाट नहीं बनी है।
4.2	उत्तराखण्ड गठन से सूचना उपलब्ध कराने की तिथि तक वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 98 के अर्न्तगत प्रदेश के वक्फ बोर्ड व वक्फ सम्पत्तियों के प्रशासन के सम्बन्ध वार्षिक रिपोर्ट बनाने के उपरान्त मा0 विधानसभा के समक्ष रखने का वर्षवार का पूर्ण विवरण,	कार्यालय अभिलेखानुसार अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड गठन से सूचना उपलब्ध कराने की तिथि तक वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 98 के अर्न्तगत प्रदेश के वक्फ बोर्ड व वक्फ सम्पत्तियों के प्रशासन के सम्बन्ध में वार्षिक रिर्पाट बनाकर विधान सभा में नहीं रखी गई है।

393/2023

	वर्षवार रिपोर्ट बनाकर मा0 विधानसभा के समक्ष रखने की तिथियों सहित।	
4.3	उत्तराखण्ड गठन से सूचना उपलब्ध कराने की तिथि तक वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 98 के अर्न्तगत प्रदेश के वक्फ बोर्ड व वक्फ सम्पत्तियों के प्रशासन के सम्बन्ध वार्षिक रिपोर्ट जिन वर्षो की सूचना उपलब्ध कराने की तिथि तक नही बनी है उसका वर्षवार, इसके रिकार्ड पर उपलब्ध आधारों सहित पूर्ण विवरण।	कार्यालय अभिलेखानुसार अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड गठन से सूचना उपलब्ध कराने की तिथि तक वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 98 के अर्न्तगत प्रदेश के वक्फ बोर्ड व वक्फ सम्पत्तियों के प्रशासन के सम्बन्ध वार्षिक रिपोर्ट किसी भी वर्ष की नही बनी है
4.4	उत्तराखण्ड गठन से सूचना उपलब्ध कराने की तिथि तक वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 98 के अर्न्तगत प्रदेश के वक्फ बोर्ड व वक्फ सम्पत्तियों के प्रशासन के सम्बन्ध वार्षिक रिपोर्ट बनाने के उपरान्त जिन वर्षो की सूचना उपलब्ध कराने की तिथि तक मा0 विधानसभा के समक्ष नही रखी गयी है उसका वर्षवार, इसके रिकार्ड पर उपलब्ध आधारों सहित पूर्ण विवरण।	कार्यालय अभिलेखानुसार अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड गठन से सूचना उपलब्ध कराने की तिथि तक वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 98 के अर्न्तगत प्रदेश के वक्फ बोर्ड व वक्फ सम्पत्तियों के प्रशासन के सम्बन्ध में किसी भी वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट मा0 विधानसभा के समक्ष नही रखी गयी है

भवदीय,

Signed by Sohan Singh Rawat
Date: 21-12-2023 13:34:23

रिकॉर्ड कीपर/
लोक सूचना अधिकारी
मो0 9897995534

पृष्ठांकन संख्या: ________ /तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– सहायक लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून।

रिकॉर्ड कीपर/
लोक सूचना अधिकारी